

Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकाम - खेरवाडा

श्री दुलाराम

बनाम श्रीमती सुनी कुमारी

१४, १४४, १३६


नं. ५७/२००९ सत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

25-9-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं
वादी अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादी एवं
वादी अधिवक्ता को तीन-तीन बार आवाज
लागाई गई, फिर भी उपस्थित नहीं हुए।
पत्रावली में आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम
होजरी, अदम पेशी में वाद खारीज किया
जात है। निर्दिष्ट खुले न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली प्रेषण शुमार दर्ज नम्बर
में कम संकर दफ्तर दाखिल है।


उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जि उदयपुर